MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ON ECONOMIC COOPERATION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON ECONOMIC COOPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA

The Government of the Republic of India represented by the Department of Commerce and the Government of the Republic of Costa Rica represented by the Ministry of Foreign Trade (hereinafter referred to as the "Parties");

RECOGNIZING the close trade and economic relations between the two countries;

DESIRING to strengthen and further develop cooperation between India and Costa Rica in the areas of trade and investment;

REAFFIRMING the importance of the role of the government through bilateral economic consultations including, the Joint Committee, as the primary forum for discussions on trade and investment issues;

Have reached the following understanding:

1. The Parties shall take all appropriate measures within the framework of their respective laws and regulations to promote economic cooperation in priority sectors, technology transfer and further diversify the bilateral trade.

I. For this purpose, the Parties will endeavor to encourage development of understanding between their respective public and private sectors, small and medium sized enterprises and association of producers in both countries with the aim of eliminating existing difficulties and facilitating bilateral commercial exchanges.

II. Aiming at this, each Party shall collaborate with competent authorities in the coordination of national exhibitions, fairs and other promotional activities of the other party in its territory.

2. The Parties shall establish a Joint Economic and Trade Committee (JETCO- hereinafter referred to as the "Committee") headed by the Secretary, Department of Commerce of India and the Ministry of Foreign Trade of Costa Rica. However, meetings of the Committee, as required on occasions, may be co-chaired at the Joint Secretary level with mutual consent of both sides. The Committee will function as the primary forum for discussions and other promotional activities on trade and investment issues such as:

I. Sharing best practices on compliance with technical regulations and Sanitary and Phyto-sanitary measures, technical barriers to trade and Consumer preferences to improve product quality.

II. Enhancing cooperation by means of technical assistance, joint studies, organization of training programs, and exchange of information, expertise and experts, organizing seminars, conferences and meetings.

III. Exploring ways for further facilitation of trade between the Parties including utilization of alternative options to the existing financial instruments and currencies for their bilateral transactions or any other means to be agreed upon.

IV. Improving the regulatory environment to encourage bilateral trade, and addressing misperceptions about the application and enforcement of standards and procedures.

V. Considering options for the integration of business representatives

and/or trade organizations into the JETCO process.

3. The Committee will comprise high level representatives of relevant institutions (Ministry of Foreign Trade of the Republic of Costa Rica and the Ministry of Commerce and Industry from the Republic of India), subject- matter experts and advisers (including business representatives). The Committee will be co-chaired by the Secretary, Department of Commerce of Government of India and the Minister of Foreign Trade of the Republic of Costa Rica or its designees.

4. The Committee will meet every two years, on mutually agreed date, alternately in India and Costa Rica.

5. This Memorandum of Understanding shall enter into force after the Parties have exchanged written-notice confirming the completion of their respective applicable legal procedures and shall remain in force unless terminated by either Party giving a ninety (90) days written-notice to the other Party, indicating its intention to terminate this Memorandum of Understanding.

6. Any disagreements concerning interpretation or application of this Memorandum of Understanding may be settled amicably through mutual consultations or negotiations between the Parties.

7. Any amendment or modification to this Memorandum of Understanding shall be made after exchange of written-notice confirming the completion of their respective applicable legal procedures and mutual written-consent by the Parties.

8. The expiration of the term hereof shall not preclude the performance of either Party of the projects and programs agreed upon the framework of this Memorandum of Understanding and were not completed at the time of termination, unless the Parties may agree otherwise.

In WITNESS WHEREOF, the following representatives, in accordance to their respective legislation, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed on 15th April, 2013 in two originals each in English, Spanish and Hindi language all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Republic of India	On behalf of the Republic of Costa Rica Ministry of Foreign Trade
Name: (Dr. D. Purandeswari)	Name:Ms. Anabel González Campabadal
Designation: Minister of State for	Designation: Minister of Foreign Trade Commerce and Industry

भारत गणराज्य की सरकार तथा कोस्टा रीका गणराज्य की सरकार के बीच आर्थिक सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन

भारत गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वाणिज्य विभाग तथा कोस्टा रीका गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विदेश व्यापार मंत्रालय (जिन्हें एतद्पश्चात 'पक्षकार' कहा गया है);

दोनों देशों के बीच घनिष्ठ व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को मान्यता प्रदान करते हुए;

व्यापार तथा निवेश के क्षेत्रों में भारत और कोस्टा रीका के बीच सहयोग को सुदृढ़ तथा और अधिक विकसित करने की इच्छा रखते हुए;

व्यापार एवं निवेश संबंधी मुद्दों पर चर्चा हेतु एक प्रमुख मंच के रूप में संयुक्त समिति सहित द्विपक्षीय आर्थिक परामर्शों के माध्यम से सरकार की भूमिका के महत्व को दोहराते हुए;

निम्नलिखित के संबंध में सहमत हुए हैं :

1. पक्षकार प्रौद्योगिकी अंतरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय व्यापार के और अधिक विविधीकरण हेतु अपने-अपने कानूनों एवं विनियमों के कार्य ढांचे के भीतर सभी समुचित उपाय करेंगे ।

I. इस प्रयोजनार्थ पक्षकार मौजूदा कठिनाइयों को समाप्त करने तथा द्विपक्षीय वाणिज्यिक सौदों को सुकर बनाने के उद्देश्य से दोनों देशों में उनके सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों तथा उत्पादक एसोसिएशनों के बीच समझौते के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगे ।

II. इस उद्देश्य से प्रत्येक पक्षकार अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, मेलों तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों के आयोजन हेतु समन्वयन के लिए दूसरे पक्षकार के सक्षम प्राधिकारियों के साथ सहयोग करेगा ।

2. पक्षकार एक संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समिति (जे ई टी सी ओ - जिसे एतद्पश्चात "समिति" कहा जाएगा) की स्थापना करेंगे जिसके प्रमुख सचिव, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार तथा कोस्टा रीका के विदेश व्यापार मंत्रालय होंगे । तथापि अनेक अवसरों पर आयोजित की जाने वाली समिति की बैठकों की सह-अध्यक्षता दोनों पक्षों की परस्पर सहमति से संयुक्त सचिव स्तर पर की जाएगी । समिति विचार-विमर्शों तथा व्यापार एवं निवेश संबंधी मुद्दों से संबंधित अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों हेतु एक प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करेगी । ये कार्यकलाप हैं :

I. उत्पाद गुणवत्ता में सुधार हेतु तकनीकी विनियमों तथा स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों के अनुपालन पर सर्वोत्तम पद्धतियों, व्यापार में तकनीकी बाधाओं तथा उपभोक्ता की प्राथमिकताओं आदि सूचना का आदान-प्रदान ।

II. तकनीकी सहायता, संयुक्त अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, सूचना, कौशल तथा विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा बैठकों के आयोजन के माध्यम से सहयोग को बढ़ाना ।

III. दोनों पक्षकारों के बीच व्यापार के और अधिक सुगमीकरण के तरीकों की तलाश करना जिसमें उनके द्विपक्षीय सौदों हेतु मौजूदा वित्तीय साधनों एवं मुद्राओं के विकल्पों का उपयोग अथवा परस्पर सहमति से प्रयोग किए जाने वाले अन्य माध्यम शामिल हैं ।

IV. द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए विनियामक परिवेश में सुधार करना तथा मानकों एवं प्रक्रियाओं को लागू करने तथा उनके प्रवर्तन के संबंध में भ्रांतियों का निवारण करना ।

V. जे ई टी सी ओ प्रक्रिया में व्यापार प्रतिनिधियों तथा/अथवा व्यापार संगठनों को एकीकृत करने हेतु विकल्पों पर विचार करना ।

3. समिति में संबंधित संस्थाओं (कोस्टा रीका गणराज्य का विदेश व्यापार मंत्रालय और भारतीय गणराज्य का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि, विषय-वस्तु विशेषज्ञ और सलाहकार (व्यापार प्रतिनिधियों सहित) शामिल होंगे । समिति की सह अध्यक्षता सचिव, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार और कोस्टारिका गणराज्य के विदेश व्यापार मंत्री अथवा उनके नामिती करेंगे ।

4. यह समिति हर दो वर्ष में एक बार भारत तथा कोस्टा रीका में बारी बारी से परस्पर सहमत तारीख को बैठक का आयोजन करेगी ।

5. समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों द्वारा उनकी संबंधित लागू न्यायिक प्रक्रियाओं की पुष्टि होने संबंधी लिखित आदेश के आदान प्रदान के उपरांत लागू होगा तथा तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई भी पक्ष अन्य पक्ष को समझौता ज्ञापन समाप्त करने की इच्छा जताते हुए नब्बे (90) दिनों का नोटिस नहीं दे देता ।

6. इस समझौता ज्ञापन के निर्वचन अथवा अनुप्रयोग संबंधी किसी असहमति का पक्षों के बीच आपसी परामर्श अथवा बातचीत के माध्यम से मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटान किया जाए ।

7. इस समझौता ज्ञापन में कोई भी संशोधन अथवा परिवर्तन पक्षकारों द्वारा लिखित सूचना का परस्पर आदान-प्रदान किये जाने तथा लिखित सहमति दिये जाने के बाद ही किया जाएगा ।

8. इस समझौता ज्ञापन की अवधि की समाप्ति से इस समझौता ज्ञापन के कार्यढ़ांचे के भीतर परस्पर सहमत किसी भी पक्षकार की ऐसी परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का नि-पादन बाधित नहीं होगा जिन्हें समझौता ज्ञापन की समाप्ति के समय पूरा नहीं किया जा सकता था जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति व्यक्त न की जाए ।

जिसके साक्ष्य में, संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं :

15-4-2013 को अंग्रेजी, स्पेनिश और हिन्दी भा-ाओं में 02 (दो) मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित किया गया जिसमें तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । निर्वचन में किसी प्रकार का विसंगति होने पर अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा ।

भारत गणराज्य की ओर से	विदेश व्यापार मंत्रालय कोस्टा रीका गणराज्य की ओर से
नाम : (डॉ0 डी. पुरंदेश्वरी)	नाम : (एनाबेल गोन्जालेज़)
पदनाम : वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री	पदनाम : विदेश व्यापार मंत्री